

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुख्यदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 12-10-15

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-03-रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड-50S470200796030759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 03 रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक	07-अन्य व्यय 59-अन्य व्यय 50S470200796030759	124.64759

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ चौबीस लाख चौसठ हजार सात सौ उनसठ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2015-16 के बजट उपबंध 500.00 लाख (₹ पाँच करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(सुखदेव सिंह)
9/10
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

102

राँची, दिनांक :-

12-10-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/लोहरदगा/गुमला/सिमडेगा/चाईबासा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावों/मेदिनीनगर/गढ़वा/लातेहार/हजारीबाग/रामगढ़/चतरा/कोडरमा/धनबाद/बोकारो/दुमका/साहेबगंज/पाकुड/गोड्डा/जामताड़ा/गिरिडीह/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(सुखदेव सिंह)
9/10
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

102

राँची, दिनांक :-

12-10-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
9/10
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक -

102

/ रॉची, दिनांक - 12-10-15 परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष-03-रेसनलाइजेशन ऑफ माइन एरिगेशन स्टैटिस्टिक
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय
विपत्र कोड-50S470200796030759
बजट उपबंध (वर्ष 2015-16) रु. 500.00 लाख

क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंत	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2015 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची (DRNMIR001)	लघु सिंचाई, राँची / दुमका	पंचम लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	24/15-16 dt.13.08.2015	343.7426	12.20994	0.00000	28.74253	28.74253	66488	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची (RNCMIR001)					0.00000	0.00000	3.88441	3.88441	66489	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी (RNCIRRK01)					0.00000	0.00000	2.50495	2.50495	66490	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा (LDGIRR001)					0.00000	0.00000	1.48654	1.48654	66491	
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLIRR006)					0.00000	0.00000	2.97805	2.97805	66492	
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा (SDGMIR001)					0.00000	0.00000	1.75297	1.75297	66493	
7	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा (SGHMIR002)					0.00000	0.00000	5.06965	5.06965	66494	
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRMIR001)					0.00000	0.00000	4.70113	4.70113	66495	
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला (SKLIRR033)					0.00000	0.00000	3.58561	3.58561	66496	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMMIR041)					0.00000	0.00000	5.29873	5.29873	66497	
11	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा (GRHMIR001)					0.00000	0.00000	2.88592	2.88592	66498	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार (LTRMIR001)					0.00000	0.00000	2.56969	2.56969	66499	
13	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)					0.00000	0.00000	3.02536	3.02536	66500	
14	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012)					0.00000	0.00000	2.06671	2.06671	66501	
15	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMIR001)					0.00000	0.00000	4.43968	4.43968	66502	

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंत	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2015 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMIRA01)	लघु सिंचाई, राँची / दुमका	पंचम लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य	24/15-16 dt.13.08.2015	343.7426	0.00000	0.00000	2.37545	2.37545	66503	
17	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद (DHNMIR001)					0.00000	0.00000	4.03630	4.03630	66557	
18	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIR001)					0.00000	0.00000	2.32069	2.32069	66563	
19	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKMIR001)					0.00000	0.00000	8.05018	8.05018	66564	
20	लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज (SBJMIR001)					0.00000	0.00000	4.81069	4.81069	66565	
21	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRMIR001)					0.00000	0.00000	3.63292	3.63292	66568	
22	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMIR014)					0.00000	0.00000	6.24742	6.24742	66569	
23	लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMIR022)					0.00000	0.00000	3.49597	3.49597	66570	
24	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001)					0.00000	0.00000	7.33555	7.33555	66571	
25	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर (DGRMIR001)					0.00000	0.00000	7.35049	7.35049	66572	
योग						0.00000	124.64759	124.64759			
आवंटित राशि – ₹ एक करोड चौबीस लाख चौसठ हजार सात सौ उनसठ मात्र।											

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

102
12-10-15